फ.न. ए. 12018/04/2017-सी.जी.एच.एस.-I
भारत सरकार
स्वास्थय एव परिवार कल्याण मंत्रालय
के. स. स्वा. यो. डिविजन
(के. स. स्वा. यो.- I)

निर्माण भवन नई दिल्ली
दिनांक. 2017

विषय:- केन्द्रीय सरकार स्वास्थय योजना, दिल्ली भौतिक चिकित्सक (ग्रेड-1) पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सुचना।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थय योजना, दिल्ली भौतिक चिकित्सक (ग्रेड-1) पद के लिए भर्ती नियम सलंग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्ति/टिप्पणियां अथवा सुझाव देने के ळिए इच्छुक पणधारक भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर श्री धर्मेन्द्र सिंह ,अवर सचिव (प्रशासन), केन्द्रीय सरकार स्वास्थय योजना, कमरा सख्या 430 सी, स्वास्थय एव परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली- 110011 को लिखित रुप मे भेज सकते है या s.dharminder@nic.in पर ई- मेल कर सकते है।

12/12/17
(धर्मेंद्र सिंह)
अवर सचिव भारत सरकार

(भारत के राजपत्र (भाग-II) खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

फाइल संख्या ए-12018/04/2017-सीजीएचएस-I

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीजीएचएस प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक , 2017

अधिसूचना

सा.का.नि. ------राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली (भौतिक चिकित्सक (ग्रेड-I) भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में भौतिक चिकित्साविद् श्रेणी-I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, भौतिक चिकित्साविद् (श्रेणी-1) के पद पर भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद पर संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति : आयु सीमा और अर्हताएं आदि:उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु सीमा, अर्हताएं और उससेसंबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
भौतिक चिकित्साविद् ग्रेड-I	05* (2017) 03 – पार्लियामेंट हाउस एनेक्स, नई दिल्ली 02 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित,	लेबल 10 (56100-177500 रुपये)	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकतीहै)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्थिति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत होने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ग्रेड बताएं जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से भौतिक चिकित्सा में डिग्री या समतुल्य; या मान्यता प्राप्त संस्थान से भौतिक चिकित्सा में 08 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी शाखा में भौतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एमपीटी) टिप्पण (1) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण :(2) अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवोकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के	लागू नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांकरण :** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/विश्विद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम /अर्धसरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग विभाग में समकक्ष पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के वेतन स्तर 8 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर 7 में नियति आधा पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो ; या (iv) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के वेतन स्तर 6 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में 8

अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उस समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।				वर्ष नियमित सेवा की हो ; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता व अनुभव हो:- भौतिक चिकित्सा में स्नातक डिग्री के साथ कम से कम 100 पलंग वाले सरकारी अस्पताल में फिजियोथेरेपी का 5 वर्ष का अनुभव । **वांछनीय** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी शाखा में फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर डिग्री (एमपीटी) नोट 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार उसी या किसीअन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 54 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: (स्थायीकरण के संबंध में विचार करने के लिए): 1. अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष 2. निदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) - सदस्य 3. निदेशक (ए एंड वी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 4. उप सचिव/अवर सचिव प्रशासन (के.स.स्वा. यो.) – सदस्य टिप्पण : स्थायीकरण से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्रवाइयां : संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किंतु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	संघ लोक सेवा आयोग से उस समय परामर्श करना आवश्यक होगा जब सीधी भर्ती करते समय और स्थानांतरण के आधार पर नियुक्ति के लिए कोई अधिकारी अन्य व्यक्तियों के साथ विचार क्षेत्र में। सीधी भर्ती तथा स्थानांतरण नियमावली के अनुसार संबद्ध क्षेत्र में किसी अधिकारी की भर्ती के समय संघ लोग सेवा आयोग से विचार किया जाएगा।

सं. ए-12018/04/2017-सीजीएचएस- I

(धर्मेंद्र सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार